राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांकः एफ.15(7)(5)/विधि/आईसीडीएस/2018/19956-862 जयपुर दिनांकः 19-11-18

1. समस्त उप निदेशक,
   मबावि, ...
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी,
   आईसीडीएस, ...
3. समस्त प्रभारी अधिकारी,
   मुख्यालय ....

विषयः— लाईट्स सॉफ्टवेयर में अपडेशन/अपलोड से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में।
प्रसंगः— कार्यवाही विवरण दिनांक 22.10.2018 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि समेकित बाल विकास सेवाएं से संबंधित लगभग 1300 प्रकरण विधि विभाग की वेबसाईट लाईट्स में रजिस्टर हैं। लम्बित प्रकरणों का निर्णय, निर्णित प्रकरणों में पालना का इन्द्राज, आगामी तारीख, जवाबदावा, ड्यू कोर्स, अपील करने के प्रकरणों का इन्द्राज, प्रकरणों से संबंधित दस्तावेज अपलोड, 10 वर्ष से 20 वर्ष व अधिक के लम्बित प्रकरण एवं मासिक सूचना आदि का इन्द्राज लाईट्स में आप द्वारा समय—समय पर अपडेशन/अपलोड नहीं किया जाता है।

न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा करने हेतु, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 11.10.2018 को आयोजित बैठक के संबंध में दिनांक 22.10.2018 को प्रेषित बैठक कार्यवाही विवरण **(संलग्न)** में लाईट्स सॉफ्टवेयर पर न्यायिक प्रकरणों के इन्द्राज करने के संबंध में सभी प्रभारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के संबंध में निर्देश दिये हैं। पूर्व में भी दिनांक 07.08.2018 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेन्स में अधिकांश उप निदेशकों द्वारा लाईट्स में इन्द्राज बाबत प्रभारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जाने का अनुरोध किया गया था। जिसके क्रम में निदेशालय द्वारा समस्त प्रभारी अधिकारियों को जिलेवार प्रशिक्षण दिये जाने हेतु **प्रशिक्षण कार्यक्रम पुष्ट पर अंकित है।**

अतः समस्त प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर निदेशालय के मीटिंग हॉल में आवश्यक रूप से उपस्थित होवें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ.15(7)(6)/लाईट्स/विधि/आईसीडीएस/2018/19963-867 जयपुर दिनांकः 19-11-18

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मबावि राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस राज. जयपुर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव एवं राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी लाईट्स, मबावि, जयपुर को उक्त प्रशिक्षण में कार्यक्रम में भाग लेने हेतु।
4. प्रभारी अधिकारी (स्टोर), मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दिन चाय एवं अल्पाहार व अन्य सुविधाऐं यथा मुख्यालय स्थित मीटिंग हॉल में समुचित व्यवस्था करावें।
5. ए.सी.पी. (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है। साथ ही उक्त प्रशिक्षण हेतु लैपटोप मय इन्टरनेट की सुविधा, प्रोजेक्टर आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार मीटिंग हॉल में उपलब्ध करावें।

अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर

लाईट्स सॉफ्टवेयर में अपडेशन/अपलोड से संबंधित प्रशिक्षण कार्यशाला

क्र. सं.	कार्यालय	परियोजना	कार्यक्रम दिनांक
1	मुख्यालय	समस्त प्रभारी अधिकारी	दिनांक 17.12.2018 प्रातः 11 बजे से
2	जयपुर	20	
3	अजमेर	11	दिनांक 20.12.2018 प्रातः 11 बजे से
4	अलवर	15	
5	बून्दी	5	
6	बांसवाड़ा	9	दिनांक 26.12.2018 प्रातः 11 बजे से
7	बारां	8	
8	बाड़मेर	16	
9	भरतपुर	10	दिनांक 02.01.2019 प्रातः 11 बजे से
10	भीलवाडा	12	
11	बीकानेर	8	
12	चित्तौड़गढ़	12	दिनांक 07.01.2019 प्रातः 11 बजे से
13	चूरू	9	
14	दौसा	7	
15	धौलपुर	5	दिनांक 10.01.2019 प्रातः 11 बजे से
16	डूंगरपुर	8	
17	गंगानगर	9	
18	हनुमानगढ	7	
19	जैसलमेर	3	दिनांक 14.01.2019 प्रातः 11 बजे से
20	जालोर	8	
21	झालावाड	7	
22	झुंझुनु	9	
23	जोधपुर	11	दिनांक 17.01.2019 प्रातः 11 बजे से
24	करौली	6	
25	कोटा	6	
26	प्रतापगढ	6	
27	नागौर	13	दिनांक 21.01.2019 प्रातः 11 बजे से
28	पाली	11	
29	सिरोही	6	
30	राजसमन्द	8	दिनांक 24.01.2019 प्रातः 11 बजे से
31	सवाई माधोपुर	7	
32	टोंक	7	
33	सीकर	11	दिनांक 28.01.2019 प्रातः 11 बजे से
34	उदयपुर	14	

समेकित बाल विकास सेवाएं, 2, जलपथ गांधीनगर, जयपुर
WebSite-www.wcd.rajasthan.gov.in(Tel-fax 0141-2700281) T.N.-0141-2713607